उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1956 का संशोधन, 1958, 61 तथा 1979]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 8 सितम्बर, 1955 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 31 सितम्बर, 1955 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

[भारत संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 30 दिसम्बर, 1955 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 6 जनवरी, 1956 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में गाय तथा गाय के वंश के वध के, प्रतिषेध (Prohibit) तथा निवारण (Prevent) करने का अधिनियम।

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में गाय तथा गाय के वंश के वध का प्रतिषेध (Prohibit) तथा निवारण (Prevent) किया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नामकरण, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें

2—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में,—

(क) "गोमांस" का तात्पर्य गाय के तथा ऐसे सांड़ अथवा बैल के मांस से है जिसका वध इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा मांस नहीं है जो सीलबन्द डिब्बों में हो और उसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में आयात किया गया हो।"

(ख) "गाय" के अन्तर्गत बछिया अथवा बछड़ा (heifer or calf) है।

(ग) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है।

(गग) सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों से है जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट विज्ञप्ति में, प्रकाशित करके सक्षम प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये ऐसी अवधि के लिये तथा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायं, नियुक्त किये जायं।

(घ) "वध" (slaughter) का तात्पर्य किसी भी रीति से मारण (killing) से है तथा इसके अन्तर्गत इस प्रकार से अंगहीन करना (maiming) तथा शारीरिक आघात पहुचाना भी है जिससे सामान्य रूप में (in the ordinary course) मृत्यु हो जाय;

(ङ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है, तथा

(च) "अलाभकर गाय" (uneconomic cow) के अन्तर्गत भटकती हुई, आरक्षित, दुर्बल, अक्षम, रुग्ण अथवा बंध्या (stray, unprotected, infirm, disabled, diseased or barren) गाय है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1956 की धारा 3 द्वारा संशोधित।

3—(1) उन दशाओं को छोड़कर जिनके लिये यहां आगे व्यवस्था है, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी स्थान में—

(क) गाय का, अथवा

(ख) सांड़ या बैल का, जब तक कि उसने उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से जहां कि उस सांड़ या बैल का वध किया जाना है, उसके संबंध में यह लिखित प्रमाण-पत्र कि वह वध करने के योग्य है, प्राप्त न कर लिया हो,

न तो वध करेगा न वध करवायेगा, न उसे वध के लिये प्रस्तुत करेगा या करवायेगा, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई बात हो अथवा कोई प्रतिकूल रूढ़ि अथवा प्रथा हो।

2—किसी सांड़ या बैल का जिसके संबंध में उपधारा (1) (ख) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है, प्रमाण-पत्र में व्यक्त स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर वध नहीं किया जायगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) (ख) के अधीन प्रमाण-पत्र केवल तब दिया जायगा जब कि वह कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् यह प्रमाणित कर दे कि--

(क) सांड़ या बैल पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु का है; अथवा

(ख) वह सांड़ प्रजनन कार्य के लिये स्थायी रूप से अयोग्य तथा अनुपयोगी हो गया है या वह बैल भारवाहन तथा किसी प्रकार के कृषि कार्य के लिये स्थायी रूप से अयोग्य तथा अनुपयोगी हो गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि स्थायी अयोग्यता या अनुपयोगिता जानबूझ कर उत्पन्न न की गई हो।

(4) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (3) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी करने अथवा प्रमाण-पत्र जारी करना अस्वीकृत करने से पूर्व अपनी आज्ञा को लेखबद्ध करेगा।

(5) राज्य सरकार किसी भी समय इस धारा के अधीन किये गये कार्य की वैधता का उसके औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से किसी भी मामले का अभिलेख मंगा सकती है तथा उसकी जांच कर सकती है और उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो वह उचित समझे।

(6) यहां दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन किया गया कोई भी कार्य अन्तिम होगा और उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

रोगी अथवा प्रयोगाधीन गायों के संबंध में धारा 3 का प्रवृत्त न होना

4—(1) धारा 3 की कोई भी बात किसी ऐसी गाय, सांड़ अथवा बैल के वध पर प्रवृत्त न होगी:—

(क) जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार विज्ञापित किसी सांसर्गिक (contagious) अथवा संसर्गिक (infectious) रोग से पीड़ित हो, अथवा

(ख) जो चिकित्सकीय अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी गवेषणा (Research) के हित में प्रयोगाधीन हो, जब कि वध उन शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार किया जाय जो नियत की जायें।

(2) जब उपधारा (1) के खंड (क) में वर्णित कारणवश किसी गाय, सांड़ अथवा बैल का वध किया जाय तो वह व्यक्ति जो ऐसी गाय, सांड़, बैल का वध करे अथवा वध करवाये, वध के चौबीस घंटों के भीतर सन्निकट थाने में अथवा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के समक्ष जो नियत किया जाय, तत्संबंधी सूचना देगा।

(3) उस गाय, सांड़ या बैल का शव (carcass) जिसका उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन वध किया गया हो, ऐसी रीति से दफनाया अथवा निस्तारित किया जायगा जो नियत की जाय।

गोमांस बेचने का प्रतिषेध

5—यहां पर दिये गये अपवाद को छोड़कर तथा समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति सिवाय ऐसे चिकित्सकीय प्रयोजनों के निमित्त जो नियत किये जायं, किसी भी रूप में गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ न बेचेगा, न परिवहन करेगा, न बेचने अथवा परिवहन के लिये प्रस्तुत करेगा और न विक्रयार्थ रखेगा अथवा परिवहन करवायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1956 में नई धारा 5-क का बढ़ाया जाना (वर्ष 1979)

"5-क-(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से उसके बाहर किसी स्थान को

गाय आदि के परिवहन का विनियमन

सिवाय राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र के, और सिवाय ऐसी अनुज्ञा-पत्र के निबन्धन और शर्तों के अनुसार, किसी गाय, सांड़ या बैल का जिसका उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर वध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, न तो परिवहन करेगा, न परिवहन करने के लिये प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करायेगा।

(2) ऐसा अधिकारी प्रत्येक गाय, सांड़ या बैल के लिए पांच रुपये से अधिक ऐसा शुल्क जिसे नियत किया जाय, देने पर अनुज्ञा-पत्र जारी करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा यदि गाय, सांड़ या बैल का परिवहन अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट छः मास से अनधिक अवधि के लिये हो।

(3) यदि अनुज्ञा-पत्र पर सीमित अवधि के लिए गाय, सांड़ या बैल का परिवहन करने वाला व्यक्ति अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी गाय, सांड़ या बैल को राज्य में वापस न लाये तो यह समझा जायेगा कि उसने उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

(4) अनुज्ञा-पत्र का प्राइस, उसके लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप और ऐसे आवेदन-पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी नियत की जाय।

(5) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस धारा के अधीन की गयी कार्यवाही की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ किसी समय किसी मामले के अभिलेख को मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और ऐसा आदेश उस पर दे सकता है जैसा वह उचित समझे"

अपवाद—वायुयान के अथवा रेलवे ट्रेन के वास्तविक (Bonafide) यात्री द्वारा उपभोग के लिये कोई भी व्यक्ति गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ बेच सकता है तथा भोजनार्थ प्रस्तुत कर सकता है, अथवा विक्रय और भोजनार्थ प्रस्तुत करवा सकता है।

संस्थाओं की स्थापना।

6—राज्य सरकार और राज्य सरकार द्वारा आदेश दिये जाने पर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी (Local authority) अलाभकर (Uneconomic) गायों की देखभाल के लिये आवश्यकतानुसार संस्थाएं स्थापित करेगा।

परिव्ययों अथवा शुल्कों का आदेय (levy) किया जाना।

7—राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी दशा हो, संस्थाओं में अलाभकर गायों को रखने के निमित्त ऐसा परिव्यय अथवा शुल्क आदेय (Levy) कर सकती है जो नियत किया जाय।

शास्ति (Penalty)

8—(1) जो कोई भी व्यक्ति धारा 3 अथवा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करे अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करे अथवा उल्लंघन का प्रवर्तन (abet) करे तो ऐसे अपराध का दोषी होगा जो कठिन कारावास के दण्ड द्वारा जो दो वर्ष तक का हो सकता है अथवा अर्थ-दण्ड द्वारा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों द्वारा दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई भी व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (2) में वर्णित रीति से तथा समय के भीतर सूचना प्रस्तुत न करे "या धारा 5 की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करे" तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा जो साधारण कारावास के दंड द्वारा जो एक वर्ष तक का हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड द्वारा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों द्वारा दण्डनीय होगा।

(3) उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराधों पर विचार (trial) करते समय इस बात को सिद्ध करने का भार (burden of proving) कि वध की हुई गाय धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट वर्ग की थी, अभियुक्त पर होगा।

अपराध, हस्तक्षेप्य (cognizable) तथा अप्रतिभाव्य (non-bailable) होंगे।

9—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 में किसी बात के होते हुए भी धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध हस्तक्षेप्य (cognizable) तथा अप्रतिभाव्य (non-bailable) होंगे।

नियम बनाने का अधिकार।

10—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगत अधिकार की व्यापकता को न्यूनीकृत करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:—

(क) दशायें तथा परिस्थितियां जिनमें धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गायों, सांड़ों अथवा बैलों का वध किया जायगा,

(कक) "धारा 3 के अधीन प्रमाण-पत्र का प्रपत्र तथा आवेदन-पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया",

(ख) रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन रोग विज्ञापित किये जायेंगे,

(ग) रीति जिससे धारा (4) की उपधारा (2) के अधीन सूचना प्रस्तुत की जायेगी,

(घ) रीति जिससे तथा प्रतिबन्ध (conditions) जिनके अधीन गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ धारा 5 के अधीन बेचे जायें अथवा बेचे और भोजनार्थ प्रस्तुत किये जायें,

(ङ) धारा 6 में अभिदिष्ट संस्थाओं के अधिष्ठापन (establishment), रख-रखाव प्रबन्ध, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण से संबद्ध विषय,

(च) इस अधिनियम के अधीन अधिक्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के समक्ष ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, और,

(छ) वे विषय जो नियत किए जाने वाले हैं और नियत किये जायं।